संख्या-7/2022/924/तेइस-7-2021-75(सा0)/2021

प्रेषक,

अभय कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(व्यवस्थापन-ग वर्ग),
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ: दिनांक 10 मार्च, 2022

विषय:- स्व0 श्री हरिमोहन सक्सेना, सेवानिवृत्त वरिष्ठ सहायक, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, इटावा के स्वयं की चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्रांक-398व्यग/07व्यग/(39)/2020, दिनांक 26-08-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक(चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-2011, सहपठित प्रथम संशोधन नियमावली-2014 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्व0 श्री हरिमोहन सक्सेना, सेवानिवृत्त वरिष्ठ सहायक, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, इटावा के स्वयं का उपचार मेदांता हास्पिटल, गुडगांव में दिनांक 09-05-2020 से 17-06-2020 तक कराये गये चिकित्सा पर दावा की गयी व्यय धनराशि रू0 11,04,204/- (रूपये ग्यारह लाख चार हजार दो सौ चार मात्र) के सापेक्ष मुख्य चिकित्साधिकारी, इटावा द्वारा संस्तुत धनराशि रू0 10,44,204/-(रूपये दस लाख चौव्वालिस हजार दो सौ चार मात्र) की प्रतिपूति श्रीमती प्रभा सक्सेना पत्नी स्व0 श्री हरि मोहन सक्सेना को किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। प्रश्नगत धनराशि का भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावें का भुगतान प्रथम बार ही किया जा रहा है एवं भुगतान की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है तथा यदि कोई चिकित्सा अग्रिम पूर्व में स्वीकृत किया गया है तो उसका समायोजन कर लिया जाय।

3- उक्त चिकित्सा प्रतिपूति पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-54 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2059-लोक निर्माण कार्य-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-001-निर्देशन तथा प्रशासन-03-निदेशन-49-चिकित्सा व्यय " के मद के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उक्त चिकित्सा दावा/इलाज से संबंधित समस्त बिल बाउचर व अन्य संगत अभिलेख मूलरूप में संलग्नकर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,
अभय कुमार
संयुक्त सचिव।

संख्या-7/2022/924(1)/तेइस–7–2021-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी,बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- कोषाधिकारी, इटावा।
5- मुख्य अभियन्ता(मु0-2), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता, कानपुर क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग,कानपुर।
7- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, इटावा।
8- श्रीमती प्रभा सक्सेना पत्नी स्व0 श्री हरि मोहन सक्सेना, मकान नं0-27 सी, फ्रेन्डस कालौनी, इटावा ।
9- गार्ड पत्रावली हेतु।

आज्ञा से,
राजेन्द्र प्रसाद
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।